हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर

वित्त समिति – तृतीय बैठक

दिनांक	:	09.11.2021
समय	:	अपराह्न 03:00 बजे
स्थान	:	कमरा नम्बर 207, द्वितीय तल, राजीव गांधी विद्या भवन, डॉ.सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
अध्यक्षता	:	श्री ओम थानवी, कुलपति हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प. 3(18)एचजेयू/लेखा/वित्त समिति/2021–22/3995 दिनांक : 22-10-2021

बैठक सूचना

विश्वविद्यालय वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 09.11.2021 (मंगलवार) अपराह्न 3:00 बजे कमरा नम्बर 207, द्वितीय तल, राजीव गांधी विद्या भवन, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। बैठक में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति निवेदित है :–

क्र.सं.	वित्त समिति पदाधिकारी	पदनाम	नाम
1.	विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय	अध्यक्ष	श्री ओम थानवी
2.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य	श्री अखिल अरोरा
3.	संभागीय आयुक्त, जयपुर (वित्त विभाग के नामित प्रतिनिधि)	नामित सदस्य	श्री दिनेश कुमार यादव
4.	शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उनके द्वारा नाम निर्देशित, जो शासन उपसचिव से नीचे की रैंक के न हो	पदेन सदस्य	श्री एन.एल.मीणा
5.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार या उसके द्वारा नाम निर्देशित जो शासन उपसचिव से नीचे की रैंक के न हो	पदेन सदस्य	श्री अभय कुमार
6.	बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित अशासकीय सदस्य	सदस्य	श्री अमर सिंह राठौड़
7.	वित्त नियंत्रक	सदस्य सचिव	श्रीमती कुसुम धारवाल

संलग्नः– बैठक एजेण्डा

(कुसुम धारवाल)
वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव
वित्त समिति

क्रमांकः प. 3(18)एचजेयू/लेखा/वित्त समिति/2021–22/3996–10000 दिनांक : 22-10-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सहायक, कुलपति महोदय, एचजेयू, जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर
3. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव, एचजेयू, जयपुर
4. परीक्षा नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर
5. उप कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर
6. सहायक कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर को बैठक संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं करने हेतु

वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव

राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर 302 017 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan, Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul, JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान

D/Vitt smitti new /

क्रमांकः एफ.3(18)एचजेयू/लेखा/वित्त समिति/2021–22/ दिनांक :

वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 09.11.2021 की कार्यसूची (एजेंडा)

दिनांक : 09.11.2021 समय : अपराह्न 3.00 बजे

स्थान : कमरा नम्बर–207, द्वितीय तल, राजीव गांधी भवन, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	परिशिष्ट संख्या
3–1	**वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10.08.2020 व द्वितीय बैठक दिनांक 08.02.2021 के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन –** प्रथम विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.08.2020 व द्वितीय बैठक दिनांक 08.2.2021 के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	परिशिष्ट–1 पृष्ठ सं. – 1–14
3–2	**विश्वविद्यालय के वर्ष 2020–21 के प्रमाणित वार्षिक लेखों का अनुमोदन :** विश्वविद्यालय के वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कौशिक सारस्वत जैन एंड कम्पनी द्वारा प्रमाणित किये गये। प्रमाणित लेखे परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–	परिशिष्ट–2 पृष्ठ सं. – 15–25

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	दिनांक 31.03.2020 को अवशेष राशि	2020–21 में स्वीकृत राशि	कुल स्वीकृत प्रावधान (3+4)	2020–21 में व्यय राशि	अव्यतीत अवशेष राशि दिनांक 31.03.2021 (5–6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	संवेतन	15.24	315.00	330.24	316.03	14.21
2.	गैर संवेतन	11.01	350.00	361.01	213.55	147.26
3.	पूंजीगत मद	500.00	–	500.00	167.36	332.64
	कुल योग	526.25	665.00	1191.25	696.94	494.31

वर्ष 2020–21 में विभिन्न स्त्रोतों से विश्वविद्यालय की आय निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद	विवरण/ शिड्यूल नम्बर	राशि
1.	Fee/ subscription	3	31.30
2.	Interast in Current Bank A/C	6	3.51
3.	Other income (tendar fees/ Sale Of Old News Paper)	7	0.12
	कुल योग		34.93

विश्वविद्यालय के प्रमाणित वार्षिक लेखे वर्ष 2020–21 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

3–3 **विश्वविद्यालय में प्राप्त की गई परामर्शी सेवाओं संबंधी प्रस्ताव :–** **परिशिष्ट–3,4 पृष्ठ सं. – 26–27**

नव स्थापित विश्वविद्यालय के कार्य को गति प्रदान करने एवं सुचारु रूप से संचालित करने हेतु निम्नानुसार परामर्शी सेवाएं प्राप्त की गयी हैं :

(i) प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 29.01.2020 में निर्णय क्रमांक 1–2 में विश्वविद्यालय के परिनियम, आर्डिनेंस तथा विनियमों की विषय–वस्तु के कार्य के सम्पादन हेतु अनुभवी अथवा विधि विशेषज्ञ की परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने का अनुमोदन किया गया था। उक्त निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 8592 दिनांक 24.06.2021 द्वारा 01 वर्ष के लिए प्रतिमाह 1,00,000/– परामर्श शुल्क पर श्री अशोक कुमार नगावत, वरिष्ठ परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) की परामर्शी सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

(ii) विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 7761–74 दिनांक 05.03.2021 द्वारा 01 वर्ष के लिए प्रतिमाह 30,000/– परामर्श शुल्क पर डॉ. विवेक की शैक्षणिक सलाहकार के रूप में परामर्शी सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

(iii) वित्त समिति की प्रथम बैठक के निर्णय क्रमांक 1–4 (i) द्वारा कर सलाहकार की सेवाएँ प्राप्त कराने का अनुमोदन किया गया। उक्त परामर्शी सेवा पुनः एक वर्ष हेतु आवश्यक होगी।

उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

3–4	**राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ज़ारी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकार किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन :–** राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 09.04.2021 के द्वारा राज्य सरकार/ बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के कार्मिकों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) लागू की गई। उक्त योजना में कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया। उक्त परिपत्र के क्रम में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 472 दिनांक 13.07.2021 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) लागू किये जाने पर स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा राशि रु. 6100/– प्रतिवर्ष प्रति कार्मिक का प्रीमियम जमा करवाया जाएगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 473 दिनांक 13.07.2021 द्वारा राज मेडिकल एवं अन्य मेडिक्लेम पॉलिसी की व्यवस्था को समाप्त कर समस्त लाभार्थियों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में समाहित करते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 9130 दिनांक 04.08.2021 द्वारा उक्त प्रावधानों को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय के स्टाफ को अभी तक मैडिक्लेम सुविधा प्रदान की जा रही थी। जिसका वार्षिक प्रीमियम भुगतान राशि रु. 7530/– विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जा रहा था। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) लागू किये जाने पर राशि रु. 6100/– प्रतिवर्ष प्रति कार्मिक का प्रीमियम का भार विश्वविद्यालय को वहन करना होगा जो कि पूर्व प्रीमियम राशि रु. 7530/– से कम है अतः ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा। आदेश के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	परिशिष्ट–5 पृष्ठ सं. – 28–34

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः एफ.3(18)एचजेयू/लेखा/वित्त समिति/2021–22/ दिनांकः.................2021

वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10.08.2020 एवं द्वितीय बैठक 08.02.2021 की अनुपालना रिपोर्ट :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्णय/टिप्पणी	अनुपालना स्थिति
1–4 (i)	विश्वविद्यालय में वित्तीय कार्यो के सहयोग हेतु कर सलाहकार के रुप में चार्टर्ड अकांउटेन्ट की सेवाऐं प्राप्त करने का अनुमोदन	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।	अनुपालना पूर्ण की गई। आदेश क्रमांक 137 दिनांक 23.08.2019, 3974 दिनांक 25.08.2020 एवं 4620 दिनांक 12.10.2020 जारी किया गया।
1–4 (ii)	विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यो में सहयोग हेतु परीक्षा सलाहकार की सेवाएँ प्राप्त करने का अनुमोदन।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।	अनुपालना पूर्ण की गई। आदेश क्रमांक 05 दिनांक 05.10.2019, 4207 दिनांक 10.09.2020 एवं 9107 दिनांक 03.08.2021 जारी किया गया।
1–4 (iii)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्थाओं के सुचारु संपादन हेतु शैक्षणिक सलाहकार की सेवाएँ प्राप्त करने को अनुमोदन।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।	अनुपालना पूर्ण की गई। आदेश क्रमांक 7340 दिनांक 22.02.2021 एवं 7386 दिनांक 22.02.2021 जारी किया गया।

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 017 (राजस्थान)

Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India

+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

1–5	विश्वविद्यालय में तकनीकी तथा शैक्षणिक विषयों के शिक्षण के लिए एड्ंजक्ट फ़ैकल्टी एवं विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों की सेवाएँ लिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।	अनुपालना पूर्ण की गई। आदेश क्रमांक 6434 दिनांक 31.12.2020 एवं 6470 दिनांक 02.01.2021 जारी किया गया।
2–7	विश्वविद्यालय के भवन निर्माण, वर्तमान कार्यालयो एवं कुलपति निवास के रख–रखाव हेतु संपदा सलाहकार की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।	अनुपालना पूर्ण की गई। आदेश क्रमांक 7786 दिनांक 05.03.2021 जारी किया गया।

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 017 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in